न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 56/2025 राजस्व वाद

01. प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) —— वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
02. श्रवण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
03. मान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
04. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
05. गोविन्द सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. टेमू पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
07. रुकमा पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
08. सोहनी पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
09. नेनी पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– धोडारेल हाल निवासी– करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री अशोक लखारा —अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार —प्रतिवादी संख्या 01
3. एकपक्षीय —प्रतिवादी संख्या 2 से 9

:: निर्णय ::

दिनांक– 08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद कोदिया पटवार हल्का ज्ञानगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 155, 156, 157,158, 159,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168 कुल किता 14 रकबा 13.8729 हेक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि जो कि विरासत से दर्ज हुई है। वादी का नाम प्रभु सिंह है, जो सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचानपत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व सरहद राजारेल पटवार हल्का कूकडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कूकडा तहसील भीम जिला राजसमन्द के खाता संख्या 68 मे वादी का नाम प्रभु सिंह है, लेकिन वादी का नाम बोलता नाम पप्पू सिंह होने से उक्त राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम विरासत से नामान्तरणकरण खोला गया, तब राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना जांच पडताल किये वादी का नाम प्रभु सिंह है, जिसका बोलता नाम पप्पू सिंह लिख दिया गया है। जिससे वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है व सरकारी सुख सुविधाओ से वंचित हो रहा है। लक्ष्मण सिंह जी के प्रभु सिंह व पप्पू सिंह नाम के अलग लडके नही होकर वादी ही प्रभु सिंह व पप्पू सिंह

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

है। वादी को दिनांक 12 बारह मार्च 2025 दो हजार पच्चीस को नकल प्राप्त करने पर वादी का नाम प्रभु सिंह के बजाय पप्पू सिंह दर्ज होने की जानकारी हुई। ग्राम पंचायत झानगढ़ द्वारा भी प्रमाणपत्र जारी किया गया, जिसमे भी वादी ही प्रभु सिंह व पप्पू सिंह होने व नाम दुरूस्त कराया जाना उचित माना है। इस पर वादी प्रतिवादी संख्या 01 के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा दिनांक 20 बीस मार्च 2025 दो हजार पच्चीस को प्रतिवादी संख्या 01 के पास जाने व दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी साफ तौर इंकार हो गया व प्रतिवादी द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम प्रभु सिंह के बजाय पप्पू सिंह दर्ज होने से वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है। इस कारण से वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम पप्पू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के बजाय प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व वादी द्वारा ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र व स्वयं का शपथपत्र व दस्तावेजात पेश किये गये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे पप्पू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के बजाय प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह है व साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसार भी पप्पू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह एवं प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह दोनो एक ही है। अतः वादीया का नाम पप्पू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के बजाय प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले सभी प्रभावो के लिए वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का आवेदन स्वीकार कर सरहद कोदिया पटवार हल्का झानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र झानगढ़ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 155, 156, 157,158, 159,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168 कुल किता 14 रकबा 13.8729 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम पप्पू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के बजाय प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकैन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आरएएस

मुकदमा नम्बर 56/2025 राजस्व वाद

01. प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
02. श्रवण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
04. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
05. गोविन्द सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. टेगू पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. रूकमा पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
08. सोहनी पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
09. नेनी पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- धोडारेल हाल निवासी- करमा की तलाई, ज्ञानगढ़ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ---और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित द्वारा राशि शुन्य को दी जायें।

वादी का आवेदन स्वीकार कर सरहद कोदिया पटवार हल्का ज्ञानगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 155, 156, 157,158, 159,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168 कुल किता 14 रकबा 13.8729 हैक्टयर के

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम पप्पू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के बजाय प्रभु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे। खर्चा फरीकेन अपना- अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह) पदेन
सहा.आर.ए.एस. करेड
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनाक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

Scanned with OKEN Scanner